न्यायालयः प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

उपस्थित : हर्षित सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

अग्रिम जमानत आवेदन पत्र संख्या–823 / 2026

साहिल कुमार बनाम् बिहार सरकार

करताहॉ थाना कांड सं0–13 / 2026

अधीन धारा–126(2), 115(2), 76, 109, 303(2), 352, 3(5) भारतीय न्याय संहिता।

Web copy not official

02-04-2026

करताहॉ थाना कांड संख्या–13 / 2026, भारतीय न्याय संहिता की धारा–126(2), 115(2), 76, 109, 303(2), 352, 3(5) में गिरफ्तारी की आशंका के कारण आवेदक **साहिल कुमार उम्र–19 वर्ष पेसर–अरूण सिंह** साकिन–करताहॉ खजुरिया, थाना–करताहॉ, जिला–वैशाली के तरफ से दाखिल अग्रिम जमानत पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता **श्री राजेश्वर सिंह** एवं बिहार सरकार के तरफ से **श्री श्याम बाबु राय** को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।

जमानत आवेदन की कण्डिका 2 में उल्लिखित है कि आवेदक के तरफ से पूर्व में अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन इस न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है।

संक्षेप में अभियोजन का कथानक यह है कि दिनांक–30.01.2026 को समय करीब 04.30 बजे शाम में सूचक अपने घर के पीछे कुछ काम कर रहा था तभी उसके पड़ोसी अरूण सिंह, साहिल कुमार, सुनीता देवी एवं मुस्कान कुमारी सभी एकजुट होकर अपने हाथ में लोहे के रड, लाठी एवं डंडा लिये था, सूचक के साथ मारपीट करने लगा। विरोध करने पर साहिल कुमार लोहे के रड से सूचक के सर पर वार किया। सूचक की पत्नी बीच–बचाव करने आयी तो सभी अभियुक्तगण मिलकर उसके साथ भी मारपीट किये और उसका कपड़ा फाड़ दिये जिससे वह अर्धनग्न हो गई। सूचक की पत्नी के कान से सोने का झुमका सुनीता देवी लेकर भाग गई।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि, आवेदक निर्दोष है तथा आरोपित कोई अपराध नहीं किया है। उसे मिथ्या रूप से इस मामला में पट्टीदारी विवाद के कारण फंसाया गया है। उनका यह भी कथन है कि अभियोजन कथानक पूर्णतः मनगढ़न्त है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। निवेदित है, आवेदक को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाय।

विद्वान लोक अभियोजक आवेदक के अग्रिम जमानत आवेदन पत्र का विरोध करते हैं।

उभय पक्षों को सुना। जमानत आवेदन, मूल अभिलेख, कांड दैनिकी 01 से 81 एवं उसके साथ संलग्न कागजातों का अवलोकन किया जिससे विदित होता है कि आवेदक प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त है जिन पर अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर लोहे के रड, लाठी एवं डंडा से लैश होकर सूचक के साथ मारपीट करने, सूचक के सर पर लोहे के रड से मारने, सूचक की पत्नी के साथ मारपीट कर उसे अर्धनग्न करने एवं सूचक की पत्नी के कान से सोने

न्यायालय : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

उपस्थित : हर्षित सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

अग्रिम जमानत आवेदन पत्र संख्या–823/2026

साहिल कुमार बनाम् बिहार सरकार

लगातार

02.04.2026 का झुमका लेकर भाग जाने का आरोप है। घटना का समर्थन कांड दैनिकी की कंडिका 05, 06, 12 एवं 13 में अंकित बयान में साक्षियों द्वारा किया गया है। लेकिन उक्त साक्षियों द्वारा सूचक की पत्नी के साथ मारपीट कर उसे अर्धनग्न करने एवं उसके कान से सोने का झुमका लेकर भाग जाने की बात का समर्थन नहीं किये है। साथ ही कांड दैनिकी की कंडिका 12 एवं 13 में अंकित साक्षी राकेश कुमार सिंह एवं राहुल कुमार के बयान से स्पष्ट है कि सूचक द्वारा बैर का पेड़ जिस पर फल लगा था, काटकर गिराया गया था जो अभियुक्त के खेत में गोभी लगा खेत में गिरा जिससे आवेदक के खेत का नुकसान हुआ जिसके कारण आवेदक की पत्नी ने गाली–गलौज की तो उक्त घटना कारित हुई। कांड दैनिकी की कंडिका 71 में जख्मी राज कुमार सिंह (सूचक) का जख्म प्रतिवेदन अंकित है जिसमें चिकित्सक द्वारा उसके खोपड़ी के दाहिने पार्श्रिका क्षेत्र पर लगभग 03 सेमी x 0.5 सेमी आकर का एक फटा हुआ घाव एवं दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली के आधार के पास पृष्ठीय भाग पर लगभर 1 सेमी x 1 सेमी आकर का एक खरोंच पाया गया है और उक्त जख्म को चिकित्सक द्वारा साधारण प्रकृति का कठोर एवं कुंद वस्तु से कारित जख्म पाया गया है। जमानत आवेदन की कंडिका 03 से विदित होता है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

अतः मामले के तथ्यों, अभिलेख पर उपलब्ध सामाग्रियों एवं अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों को देखते हुए प्रस्तुत मामले में आवेदक को अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान करना न्यायसंगत प्रतीत होता है। अतः इस आदेश की तिथि से चार सप्ताह के भीतर आवेदक द्वारा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आत्म–समर्पण करने अथवा गिरफ्तार होने की स्थिति में उपरोक्त नामित आवेदक को 10,000/–(दस हजार रूपए) तथा उतनी ही समान राशि के दो प्रतिभूओं सहित धारा–482(2) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की शर्तों के अधीन बंध पत्र दाखिल करने पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय की संतुष्टि पर प्रस्तुत मामले में अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

लेखापित

(हर्षित सिंह)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
वैशाली, हाजीपुर।

Web copy not official

न्यायालय : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

उपस्थित : हर्षित सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

अग्रिम जमानत आवेदन पत्र संख्या–823/2026

साहिल कुमार बनाम् बिहार सरकार

आदेश पर नियत की तिथि	02.04.2026
आदेश की तिथि	02.04.2026
अपलोड करने की तिथि	04.04.2026
अपलोड करने वाले	प्रेम रंजन कुमार सिंह, आशुलिपिक

Web Copy not official